कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/G/2017–18/प्रवेशोत्सव/द्वितीय चरण/116 दिनांक–15/06/18

उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा
.... (समस्त)

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा
.... (समस्त)

विषय–राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि, अनामांकित एवं ड्राप आउट बच्चों को विद्यालय से जोड़ने एवं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के द्वितीय चरण के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश ।

प्रसंग–शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर का पत्रांक–RCEE/JAI/PFE/प्रवेशोत्सव/2018-19/244 दिनांक 06.04.18, इस कार्यालय का पूर्व समसंख्यक पत्रांक 18 दि. 09.04.18, पत्रांक 33 दि. 25.04.18 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों के संबंध में लेख है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको प्रवेशोत्सव संबंधी दिशा निर्देश जारी किये गये थे । अब तक सभी पंचायतों में समस्त बालक बालिकाओं को चिन्हित कर/सर्वे कर आंगनबाड़ी एवं विद्यालयों से जोड़े जाने की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रवेशोत्सव के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया होगा । प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण 19.06.18 से 03.07.18 तक आयोजित किया जाना है । अतः शासन एवं निदेशालय द्वारा प्रथम चरण के दौरान प्रासांगिक पत्रों में दिये गये निर्देशों की द्वितीय चरण के दौरान पूर्ण पालना की जानी सुनिश्चित करें । समस्त उपनिदेशक प्राशि को पुनः निर्देशित किया जाता है कि वे निम्नलिखित विशेष बिंदुओं की भी प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण के दौरान पालना सुनिश्चित करें–

1. आप स्वंय अपने अधीनस्थ जिलो के कार्यालयो/विद्यालयो का निरीक्षण कर कार्यक्रम के सुचारू व सफल संचालन मे योगदान देवे तथा अधीनस्थ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करे।
2. अपने कार्यालय मे एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना करे तथा इस कार्य हेतु एक अधिकारी व आवश्यकतानुसार कार्मिक को दायित्व सौप कर नियंत्रण कक्षा तथा प्रभारियो के नंबर आज ही निदेशालय के शैक्षिक अनुभाग की ई–मेल आईडी–shakshikcelledu@gmail.com पर देवे।
3. आपके कार्यालय एंव समस्त जिलो के प्रभारी अधिकारी एंव कार्मिको के नंबर को निदेशालय द्वारा संचालित व्हाट्सअप ग्रुप मे जुडवाने हेतु प्रेरित करे ताकि सूचनाओ के आदान प्रदान मे सुविधा हो, इस हेतु निदेशालय के शैक्षिक अनुभाग के सहायक निदेशक श्री राजेश गोस्वामी से मोबाईल नं. 9414064445 पर संपर्क करें।
4. निदेशालय स्तर पर प्रवेशोत्सव के प्रभारी अधिकारी व कार्मिक को नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया जाता है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये निम्न मे से किसी भी नंबर पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है–

क्र.सं.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	मोबाईल नंबर
1	श्री राजेश गोस्वामी	सहायक निदेशक (शैक्षिक)	9414064445
2	श्री जफर इकबाल कादरी	कनिष्ठ सहायक	9413167383

प्रवेशोत्सव प्रथम चरण के दौरान कुछ जिशिअप्राशि कार्यालयों एवं उपनिदेशक प्राशि कार्यालयों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया, उनके अधिनस्थ जिलों/विद्यालयों में नामांकन वृद्धिं अत्यधिक न्यून पाई गई जिसके लिये पृथक से कार्यवाही की जायेगी । प्रवेशोत्सव प्रथम चरण के दौरान पाई गई शिथिलताओं को ध्यान में रखते हुए द्वितीय चरण हेतु निम्नलिखित आवश्यक निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा केवल प्रपत्र 1ए जारी किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है । अतः प्रपत्र 1ए की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रति में प्रतिदिन की सूचना अगले दिवस के प्रातः 11 बजे से पूर्व निदेशालय प्राशि के शैक्षिक अनुभाग की ई–मेल आइडी–shakshikcelledu@gmail.com पर प्रेषित की जानी सुनिश्चित करें । प्रपत्र 1 की सूचना आप अपने कार्यालय स्तर से ही राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद् जयपुर को भी प्रेषित करवाई जानी सुनिश्चित करें ।

www.rajteachers.com

2. प्रवेशोत्सव प्रथम चरण के दौरान बीईईओ कार्यालय, जिशिअप्राशि कार्यालय एवं उपनिदेशक प्राशि कार्यालय, तीनों कार्यालय एक ही दिनांक के अलग–अलग आंकड़े प्रपत्र 1ए में निदेशालय को प्रेषित करते हैं, जिससे यह असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है कि किस सूचना को सही माना जाये । अतः प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण हेतु यह निर्णय लिया गया है कि **केवल उपनिदेशक प्राशि कार्यालय ही निदेशालय को आंकड़े प्रेषित करेंगे** । बीईईओ/जिशिअप्राशि कार्यालय प्रत्येक दिन की सूचना अपने संबंधित उपनिदेशक प्राशि कार्यालय को ही प्रेषित करेंगे । बीईईओ/जिशिअप्राशि कार्यालय किसी भी स्थिति में आंकड़े सीधे निदेशालय को पत्र/ई–मेल के माध्यम से प्रेषित नहीं करें । जिशिअप्राशि कार्यालय एवं उपनिदेशक प्राशि कार्यालय इस बाबत् बीईईओ कार्यालयों को निर्देश प्रदान कराया जाना सुनिश्चित करें ।
3. समस्त उपनिदेशक प्राशि का यह दायित्व बनता है कि वे प्रत्येक दिन की सूचना अपने अधिनस्थ जिशिअप्राशि कार्यालयों से प्राप्त करें, किसी भी स्थिति में प्रारूप 1ए में "सूचना अप्राप्त" नहीं लिखें। संबंधित जिशिअप्राशि द्वारा सूचना प्रेषित नहीं की जाती है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे । अगर उपनिदेशक प्राशि कार्यालय द्वारा सूचना निदेशालय को प्रेषित नहीं की जाती है कि निदेशालय द्वारा संबंधित उपनिदेशक प्राशि के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।
4. उपनिदेशक प्राशि कार्यालय यह सुनिश्चित कर लें की उनके द्वारा प्रेषित किये जा रहे आंकड़ें पूर्णतया सहीं है । आंकड़ों में बार–बार संशोधन नहीं करें ।
5. उपनिदेशक प्राशि यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण की सूचना जिलेवार प्रेषित करें ना कि ब्लॉकवार । ब्लॉकवार सूचना जरूरत पड़ने पर मांग ली जायेगी ।
6. प्रथम चरण के दौरान यह भी ध्यान में आया है कि निदेशालय द्वारा नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी जब जिलों में प्रवेशोत्सव के संबंध में समीक्षा बैठक बुलाते हैं तो बीईईओ कार्यालय/जिशिअप्राशि/उपनिदेशक प्राशि कार्यालय के अधिकारी/कार्मिक बैठक में नहीं पहुंचते । समस्त बीईईओ/जिशिअप्राशि/उपनिदेशक प्राशि को निर्देशित किया जाता है कि वे जिला प्रभारी अधिकारियों को संपूर्ण सहयोग प्रदान करें एवं आवश्यतानुसार जिला प्रभारी द्वारा ली जाने वाली समीक्षा बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ भाग लेवें ।
7. उपनिदेशक प्राशि कार्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रपत्र 1ए की **हार्ड एवं सॉफ्ट, दोनों प्रतियां** निदेशालय प्राशि के शैक्षिक अनुभाग की ई–मेल आइडी–shakshikcelledu@gmail.com पर प्रेषित की जानी सुनिश्चित करें । सूचना प्रेषित करने से पूर्व आप भली भांती परीक्षण कर लें कि आपके अधिनस्थ जिलों के आंकडों के row एवं coloumn की दाये से बाये एवं उपर से नीचे, दोनों का योग एकदम सही हो । हाथ से भरी हुई सूचना/कांट छांट की गई सूचना नहीं भेजें । सूचना प्रेषित करने से पूर्व हार्ड एवं सॉफ्ट, दोनों प्रतियों में स्पष्ट रूप से उल्लेख करें की सूचना किस दिनांक की है ।
8. प्रारूप 1ए में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं करें । प्रारूप जिस फॉर्मेट में है सूचना उसी फॉर्मेट में ही दी जानी है ।
9. उपनिदेशक प्राशि/जिशिअप्राशि केवल सूचना प्रेषित करने का ही अपना दायित्व नहीं समझे, अपितु दिशा–निर्देश अनुरूप कार्ययोजना बनाकर यह सुनिश्चित करें कि आंगनबाडी एवं विद्यालय जाने योग्य आयु का कोई भी बालक–बालिका अनामांकित न रहें ।

प्रवेशोत्सव के दोनों चरण पूर्ण होने के पश्चात् अनामांकित/ड्रॉप आउट बालक/बालिकाओं को आयु अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश दिया जाकर विशेष शिक्षण के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाना है । डॉप आउट फ्री पंचायत को **"उजियारी पंचायत"** घोषित किये जाने के संबंध में लेख है कि शासन द्वारा अपने पत्रांक–राप्राशिप/जय/प्रवेशोत्सव/2018/1998 दि. 28.05.18 के द्वारा वर्ष 2018–19 के लिये उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं भौतिक सत्यापन की समयावधि निम्नानुसार तय की गई है–

1. प्रवेशोत्सव प्रथम एवं द्वितीय चरण में बालक/बालिकाओं का चिन्हिकरण– 03.07.18 तक
2. चिन्हिकृत बालक/बालिकाओं का शाला दर्शन/दर्पण पोर्टल पर अपडेशन– 10.07.18 तक
3. उजियारी पंचायत हेतु आवेदन प्रस्तुतीकरण– 11.07.18 से 20.07.18 तक
4. उपखण्ड स्तरीय भौतिक सत्यापन– 05.08.18 तक
5. जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन– 20.08.18 तक
6. जिला निष्पादक समिति द्वारा अनुमोदन– 30.08.18 तक
7. उजियारी पंचायत की घोषणा एवं सम्मान– 05.09.18

www.rajteachers.com

अतः उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं घोषणा संबंधी कार्यवाही उपरोक्तानुसार निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें । उजियारी पंचायत के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश इस कार्यालय के पत्रांक 103 दि. 12.05.18 के द्वारा जारी किये जा चुके हैं ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
2. आयुक्त, राप्राशिप, शिक्षा संकुल, जयपुर ।
3. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान को प्रेषित कर निवेदन है कि इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 30 दि. 24.04.18 के संदर्भ में आवश्यक सहयोग प्रदान कराने का श्रम करावें ।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर ।
6. संपादक, शिविरा पत्रिका ।
7. समस्त जिला प्रभारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा प्रवेशोत्सव प्रथम चरण के दौरान जारी किये गये निर्देशों एवं अ.शा. पत्रांक–राप्राशिप/प्रवेशोत्सव/18–19/2209 दि. 04.06.18 के द्वारा जारी किये गये निर्देशों की पालना करते हुए प्रवेशोत्सव द्वितीय चरण संबंधी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

<u>प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2018–19 द्वितीय चरण (19 जून 2018 से 03 जुलाई 2018)</u>

प्रपत्र संख्या –1ए

प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण के दौरान नव प्रवेशित बच्चों का कुल जिलेवार नामांकन

उपनिदेशक प्राशि कार्यालय का नाम–.. रिपोर्ट दिनांक–

क्र. सं.	जिले का नाम	कक्षा 1 में			कक्षा 2 में			कक्षा 3 में			कक्षा 4 में			कक्षा 5 में			कक्षा 6 में			कक्षा 7 में			कक्षा 8 में			नामांकन योग		
		बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग	बा.	बालि.	योग
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
	योग																											

www.rajteachers.com

उपनिदेशक प्राशि के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करने की दिनांक–............../.............../2018